मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-5/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12 मार्च, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत Non-IRA (Individual Retierment Account) PRAN को IRA PRAN में परिवर्तित करने के संबंध में ।

--••--

मध्य प्रदेश राज्य में दिनांक 1-1-2005 तथा उसके बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू की गयी है । नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के प्रारंभ में कई अभिदाताओं (Subscribers) के पंजीयन NSDL के साथ Soft Copy में किये गये हैं जिन्हें कि Non-IRA श्रेणी के अभिदाताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । IRA अभिदाता के रूप में NSDL में पंजीयन हेतु ऐसे अभिदाताओं के Physical Form निर्धारित प्रपत्र में NSDL के सुविधा केन्द्र पर प्रस्तुत किये जाना अनिवार्य है । आवेदन पत्र के अभाव में Multiple PRAN के कारण एक ही अभिदाता के एक से अधिक PRAN जारी हो गये हैं तथा ऐसे अभिदाता अपने खातों के संबंध में कोई जानकारी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं ।

2/ उपरोक्त बिंदु के समाधान हेतु आवश्यक है कि समस्त कोषालय अधिकारी उनके समस्त DDO's को Non-IRA की सूची प्रदान करें तथा DDO's उनके अधीनस्थ Non-IRA अभिदाताओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त कर NSDL के अधिकृत सुविधा केन्द्र में जमा करें ।

3/ उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 30-4-2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाना है । अतः समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने अधीनस्थ Non-IRA अभिदाताओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें । निर्धारित तिथि तक यदि DDO द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो विभाग के DDO तथा Non-IRA अभिदाता का मई का वेतन जो जून में देय (May Paid in June) रोका जा सकेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठाक्रं. : एफ 9-5/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12 मार्च, 2013

प्रतिलिपि,

1. आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. समस्त कोषालय अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करें ।
2. संचालक, पेशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. को Non-IRA/ IRA Monitering हेतु प्रस्तुत ।

(सुरेन्द्र नाथ शुक्ल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/ paripa2013